खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय,

"घ" खण्ड, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल- मध्यप्रदेश.

क्रमांक 379 /उपार्जन/2025 भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2025

प्रति,

कलेक्टर्स,

जिला- जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डौरी, बालाघाट, सिवनी, छिन्दवाड़ा, रीवा, मऊगंज, सतना, मैहर, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, रायसेन, सीहोर, विदिशा, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिण्ड, सागर, दमोह, पन्ना, मध्यप्रदेश.

विषय- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान बाबत्।

संदर्भ- खरीफ उपार्जन नीति एफ 5-1(1-1 क)/34115/2024/29-1 दिनांक 08.11.2024

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की कार्यवाही दिनांक 23.01.2025 को पूर्ण हो चुकी है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित 43.52 लाख मे.टन में से 39.93 लाख मे.टन धान का परिवहन/हेण्डलिंग चालान जारी किये गये है, इस प्रकार 3.59 लाख मे.टन उपार्जन केन्द्रों पर भण्डारित है। उपार्जन केन्द्रों पर उपलब्ध एफएक्यू गुणवत्ता की धान को प्राथमिकता के आधार पर सीधे मिलर्स को प्रदाय कराया जाए।

कतिपय जिले में उपार्जन केन्द्र पर भण्डारित धान के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा भौतिक रूप से धान का उपार्जन किये बगैर लगभग 5100 क्विंटल धान की बोगस खरीदी की पृविष्टि ई-उपार्जन पोर्टल पर करने, खाली बारदाने कम पाये गये एवं उपार्जित धान नान-एफएक्यू पाये जाने जैसी गंभीर अनियमितता पायी गयी है।

धान उपार्जन में उक्त स्थिति को रोकने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें:-

1. उपार्जन केन्द्रवार उपार्जित, परिवहन/हेण्डलिंग चालान मात्रा एवं शेष मात्रा का आंकलन किया जाए।
2. उपार्जन केन्द्रों पर परिवहन एवं हेण्डलिंग हेतु शेष धान की मात्रा, बारदाना एवं गुणवत्ता की जांच/ भौतिक सत्यापन कराया जाए।
3. उपार्जन केन्द्रों पर भण्डारित धान की जांच/सत्यापन राजस्व, सहकारिता, खाद्य, कृषि एवं अन्य विभाग के अमले से कराई जाए।
4. उपार्जन केन्द्र पर धान की मात्रा कम पाए जाने/ नान एफएक्यू पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।

उक्तानुसार उपार्जन केन्द्रों पर धान का भौतिक सत्यापन दिनांक 27.01.2025 तक कराया जाकर प्रतिवेदन संचालनालय खाद्य को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

(आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित)

24/01/2025

(एच.एस.परमार)

अपर संचालक,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,

मध्यप्रदेश।

पृ.क्रमांक 380 /उपार्जन/2025 भोपाल, दिनांक 24 जनवरी, 2025

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग।
2. क्षेत्रिय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल।
4. प्रबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (NCCF) भोपाल।
5. संबंधित जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी मध्यप्रदेश।

अपर संचालक,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
मध्यप्रदेश।